"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2014—भाद्र 28, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2014

क्रमांक ई-1-08/2014/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 एवं 1985 आवंटन वर्ष के निम्नांकित अधिकारियों को भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 2007 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत दिनांक 30-08-2014 को छानबीन समिति (Screening Committee) की अनुशंसा अनुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) रु. 80,000/- (निश्चित) में पदोन्नति प्रदान की

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

जाती है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. (1984)	प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग एवं विकास आयुक्त.	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग एवं विकास आयुक्त.
2.	श्री एन. बैजेन्द्र कुमार भा.प्र.से. (1985)	प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली.	अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली.

2. श्री एम. के. राउत, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग के पद एवं विकास आयुक्त के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् अपर मुख्य सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं प्रमुख आवासीय आयुक्त, छ.ग. भवन, नई दिल्ली तथा अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री के पदों को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. भारत सरकार के पत्र क्रमांक 11030/4/2012-एआईएस-II, दिनांक 23-07-2014 के द्वारा मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 01 वर्ष के लिए दो (02) अतिरिक्त असंवर्गीय पद की सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-11/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती संजीता गुप्ता, महाप्रबंधक-2, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ को दिनांक 01-09-2014 से दिनांक 30-09-2014 तक कुल 30 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्रीमती गुप्ता के अवकाश अवधि में श्री व्ही. एस. लकड़ा, महाप्रबंधक-1, संघ मुख्यालय, रायपुर द्वारा कार्य संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती गुप्ता, महाप्रबंधक-2, राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश अवधि में श्रीमती गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-14/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा, वनमंडलाधिकारी, महासमुंद को दिनांक 08-08-2014 से दिनांक 19-08-2014 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा वनमंडलाधिकारी, महासमुंद के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 7-18/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जयसिंह म्हस्के, मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), छत्तीसगढ़ को दिनांक 27-10-2014 से 07-11-2014 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 26-10-2014 एवं दिनांक 08 से 09 नवंबर 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री म्हस्के, मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री म्हस्के को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री म्हस्के अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

गुह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, केपिटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2014

क्रमांक-एफ 3-35/2014/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा 2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टि कोण से कालम नम्बर 3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तत्सबंधित प्रवृष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है.

क्र.	थाना/चौकी का नाम	उस पुलिस थाने का नाम तह. जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया	स्थानीय क्षेत्र	
			ग्राम का नाम	पटवारी ह. नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला धमतरी, थाना सिहावा	थाना बोरई	आमगांव (ग्राम पंचायत)	25
			बरबांधा (ग्राम पंचायत)	25
			भुरसीडोंगरी (ग्राम पचांयत)	25
			कोरमुड (आश्रित ग्राम)	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			घुरावड़ (ग्राम पंचायत)	25
			अमाली (आश्रित ग्राम)	25
			जैतपुरी (आश्रित ग्राम)	25

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 8-1/2013/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़ के बायलर क्रमांक-सी. जी./246 (यूनिट-2) को दिनांक 05-09-2014 से 05-03-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे किसी भी समय वापिस ले सकता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 8-1/2013/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, रायगढ़ के बायलर क्रमांक-सी. जी./248 (यूनिट-4) को दिनांक 01-10-2014 से 31-03-2015 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप में जमा करायी जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे किसी भी समय वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 4-72/सात-1/2014.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 8000-1905-सात-ना-1, दिनांक 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

1. सरल क्रमांक 15 में, शब्द "असूर" के पश्चात्, शब्द "अबूझमाड़िया" अंत:स्थापित किया जाए.

2. सरल क्रमांक 27 में, शब्द "कोरबा" के पश्चात्, शब्द "पहाड़ी कोरवा" अंत:स्थापित किया जाये.

No. 4-72/Seven-1/2014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 165 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department vide Notification No. 8000-1905-VII-N-1 dated, 25-11-1960, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said Notification,—

1. In serial number 15, after the word "Asur", the word "Abujhmadia" shall be inserted.

2. In serial number 27, after the word "Korwa", the word "Pahadi Korwa" shall be inserted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 8-2/2014/16.—छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18-08-2014 द्वारा विधान सभा उप चुनाव 2014 के सिलसिले में जिला कांकेर अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-79-अन्तागढ़ (अ.ज.जा.) में दिनांक 13-09-2014 को मतदान की तिथि नियत की गई है.

2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 78/2014/EPS दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा विधान सभा उप चुनाव, 2014 के वैतनिक अवकाश के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं.

3. राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अधिसूचना दिनांक 18-08-2014 के अनुक्रम में विधान सभा उप चुनाव, 2014 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम-1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

4. ऐसे कारखानों जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिनांक 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 8 सितम्बर 2014

क्रमांक/1780/भू.अ.प्र.क./1/अ-82/वर्ष 2013-2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बालोद
- (ख) तहसील-डौण्डीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भीमाटोला, प.ह.नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.22 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	225	7.25
	203	12.79
	201	3.81
	202	0.37
योग	4	24.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय योजना के पूर्ण डूबान ग्राम, कुदारी दल्ली के पूनर्बसाहट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डौण्डीलोहारा एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd September 2014

No. 802/Confdl./2014/II-3-14/2000 (Pt.II).— On the application of Shri Sanjeev Kumar, Member of Higher Judicial Service and presently posted as II Additional District & Sessions Judge, Jagdalpur, he is hereby, permitted to change his name as "Shri Sanjeev Kumar Tamak" in place of "Shri Sanjeev Kumar". It is directed that necessary changes be affected in all his records.

By the order of Hon'ble Chief Justice,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 1st September 2014

No. 612/L.G./2014/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 23-07-2014 to 28-07-2014 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 22-07-2014 till the late night of 29-07-2014 and earned leave for 04 days from 04-08-2014 to 07-08-2014 along with permission to remain out of headquarters from 03-08-2014 till 07-08-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 260 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st September 2014

No. 613/L.G./2014/II-3-27/2008.—Shri Ashok Kumar Potdar, I Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 04 days from 11-08-2014 to 14-08-2014 along with permission to leave headquarters from 10-08-2014 till 16-08-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Potdar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 280 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st September 2014

No. 614/L.G./2014/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 08 days from 01-08-2014 to 08-08-2014 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 31-07-2014 till before the Court hours of 18-08-2014.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 277 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 1st September 2014

No. 615/L.G./2014/II-2-12/2009.—Shri A. K. Goyal, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 12 days from 21-05-2014 to 01-06-2014 along with permission to remain out of headquarters from 21-05-2014 till 01-06-2014, earned leave for 03 days from 18-06-2014 to 20-06-2014 along with permission to remain out of headquarters from 18-06-2014 till 20-06-2014 and earned leave for 05 days from 07-07-2014 to 11-07-2014 along with permission to remain out of headquarters from 06-07-2014 till 13-07-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 294 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st September 2014

No. 616/L.G./2014/II-2-07/2002.—Shri T. K. Jha, Judge, Family Court, Bastar (Jagdalpur) is hereby, granted earned leave for 02 days on 07-08-2014 & 08-08-2014 along with permission to remain out of headquarters from 07-08-2014 till 10-08-2014.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Jha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+13 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN).

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक 157/दो-2-21/2006.—श्री दीपक कुमार तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 20-08-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2014

क्रमांक 158/दो-2-23/2010.—श्री शैलेश कुमार तिवारी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मनेन्द्रगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 13-08-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.